

अहकाम में

हुकम की न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोटरा

में जारी है

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट

पीठासीन अधिकारी:- 500 सपोटरा

शक्ति पत्र की कोषाखिष्ट उनवान
अरे सपोटरा डिपार्टमेंट बनाम
सपोटरा डिपार्टमेंट

1. शक्ति पत्र के लिए प्लाट नंबर 303
अथवा बि० हाजीरी तहसील सपोटरा

2. सपोटरा तहसील सपोटरा
डिपार्टमेंट

दस्तावेज स्वामी विवेकानंद

दस्तावेज नंबर :- 15/12

दिनांक :- 26/6/2015

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से .

शक्ति पत्र की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/6/2015

शक्ति पत्र (नाम पीठासीन अधिकारी) RAJ उपखण्ड अधिकारी,

सपोटरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और

बो दी जाती है कि - शक्ति पत्र के लिए तहसील सपोटरा के खाने, 3684 रकबा नदी

10 दिनांक के जारी की जाने वाली कब्र में कब्र में उत्खनी किली प्लाट की

कब्र में गडालकन नही करे, नही किली डीमरब कराके

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

आज तारीख 26/6/2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

28
पीठासीन अधिकारी (SDM)
(जिस लोक अदालत न्यायालय द्वारा-2015)
सपोटरा, जिला-सपोटरा (राज०)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे

| वादी | प्रतिवादी |
|-------------------------------|-------------------------------|
| रुपया | रुपया |
| शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प |
| अर्जी के लिए स्टाम्प | अर्जी के लिए स्टाम्प |
| प्लीडर के लिए स्टाम्प | प्लीडर की फीस |
| रुपये पर प्लीडर की फीस | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय |
| साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | आदेशिका की तामील |
| कमिश्नर की फीस | कमिश्नर की फीस |
| आदेशिका की तामील | |
| जोड | जोड |